भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1397
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कार्रवाई

†1397. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्रीमती भारती पारधी:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के शहरों में बाढ़, चक्रवात और लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों का आकलन किया है;

(ख) शहरी आबादी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना और निकासी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु पिछले तीन वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने शहरों में आपदा के दौरान कार्रवाई में सुधार के लिए एकीकृत कमांड सेंटर, रीयल-टाइम निगरानी और मोबाइल अलर्ट सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान लागू किए हैं या लागू करने की योजना है;

(घ) शहरी क्षेत्रों में आपदा तैयारी और सुरक्षा नवाचार के संबंध में कर्मियों को प्रशिक्षित करने और नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या आपदा राहत दौरान केंद्रीय एजेंसियों, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय में कोई कमी या चुनौतियाँ पाई गई हैं; और

(च) भारत के शहरी केंद्रों को आपदा सह्य, सुरक्षित और आपात स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सुसज्जित बनाना सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां क्या हैं और यदि हाँ, तो प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या है ?

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1397, दिनांक 09/12/2025

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु उपयुक्त तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुस्थापित संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों, जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, जिला योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) का शुभारंभ किया। सभी हितधारकों के परामर्श से वर्ष 2019 में इस योजना को संशोधित किया गया। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाती है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है।

भारत सरकार ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (SACHET) नामक एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक दृष्टि से संदर्भित जनसंख्या तक आसन्न खतरों के बारे में चेतावनियों/अलर्टों को एसएमएस, टीवी/रेडियो प्रसारण, रेलवे, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, सैटेलाइट टर्मिनल आदि जैसे विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में प्रसारित करना है। सीएपी प्लेटफ़ॉर्म सभी अलर्ट जनरेट करने वाली एजेंसियों, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और

लोक सभा अताराकित प्रश्न संख्या 1397, दिनांक 09/12/2025

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ एकीकृत करता है।

इस प्रणाली का हाल की आपदाओं में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है और अब तक 11,000 करोड़ से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए गए हैं। यह योजना अत्याधुनिक और 'मेक इन इंडिया' पहल है।

तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल, आपदा मित्र योजना का विस्तार, युवा आपदा मित्र योजना आदि जैसे कई कार्यक्रम/योजनाएं लागू की हैं। युवा आपदा मित्र योजना (वाईएएमएस) में, आपदा मोचन हेतु, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएसएंडजी) के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण शामिल है ।

भूस्खलन, जीएलओएफ, तटीय और नदी कटाव, जंगल की आग, बिजली, भूकंप आदि जैसे विभिन्न खतरों को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के माध्यम से विभिन्न प्रमुख आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम विभिन्न चरणों में लागू हैं ।

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के रूप में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (ICR-ER) की स्थापना की है, जो एक अत्याधुनिक अवसंरचना और आपदा-प्रतिरोधी सुविधा है। ICR-ER का उद्देश्य लगभग वास्तविक समय पर सूचना प्राप्ति, रणनीतिक स्तर की निगरानी, स्थितिजन्य जागरूकता और तैयारियों एवं प्रतिक्रिया गतिविधियों से संबंधित प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। ICR-ER राज्यों/केंद्रीय एजेंसियों के साथ प्रतिक्रिया की निगरानी और समन्वय करता है और 24*7 कार्य करता है। ICR-ER का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 16 जून 2025 को किया गया था। सभी राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियाँ ICR-ER से जुड़ी हुई हैं।

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ मिलकर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक पहुँच बढ़ाने और जोखिम कम करने पर ज़ोर दिया गया है।

एनडीएमए द्वारा, देश भर में तैयारी और प्रतिक्रिया प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर 38 दिशानिर्देश जारी किए गए। एनडीएमए द्वारा, राज्यों और केंद्र शासित

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1397, दिनांक 09/12/2025

प्रदेशों के साथ निकट समन्वय में भेद्यता प्रोफ़ाइल के अनुसार विभिन्न खतरों पर राज्य और बहु-राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास का संचालन भी किया जाता है ।

आपदाओं से पहले की तैयारी के उपायों, आपदाओं के दौरान आवश्यक सावधानियों और आपदा के बाद की स्थिति में उचित कार्रवाई के बारे में जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए नियमित सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जाता है ।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने इस वर्ष के दौरान स्कूली बच्चों के बीच आपदा संबंधी सावधानियों, आपदा के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 3110 स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

यह मंत्रालय अंतर-एजेंसी समन्वय को सुगम बनाने के लिए त्वरित बचाव और राहत कार्यों के लिए टीमों, उपकरणों और अन्य संसाधनों को जुटाने हेतु एनडीएमए, एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों, संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करता है।

*****